अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

354/2014/TR(RAct) मुरली v/s कन्हैयालाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	2014/00137 श्री अरविन्द Adv. श्री NK मीणा GA2	
17.11.25	पत्रावली पेश की गई। अपीलांट अनु.। अधिभाषक रेस्पो स. 01 उपस्थित। अपीलांट के न्यायालय में पेश होकर उपस्थित अवगत किया गया है, चाहे ~~बहस नहीं~~ उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24/11/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
24.11.25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । मिसल पूर्वानुसार वास्ते 02/12/25 दिनांक को पेश हो राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
2/12/25	पत्रावली पेश की गई। अपीलांट अनुपस्थित। अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए, अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

1691

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जी अजमेर
अजमेर/ अपील.एल.आर. संख्या 354/2014
----- 2014/00137

मुकेश पुत्र छगनलाल जाति खटीक, निवासी ग्राम भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर।

---अपीलांट

बनाम्

1. धन्नालाल पुत्र छीतरमल जाति कुम्हार, निवासी भिनाय रेण गेट कुम्हार मौहल्ला, तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, भिनाय।

---रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी दिनांक 23.12.2006 कमांक 165 जिसके द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को समंपरिवर्तन आदेश पारित किया गया।

महोदय जी,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

(क) यह कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2941 रकबा 0.27 हैक्टयर किस्म सिवायचक आराजी जो ग्राम भिनाय तहसील भिनाय में स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27.12.2004 प्रशासन आपके द्वार कैम्प 2004 भिनाय में लगभग 38 व्यक्तियों को आवंटन किया गया, जिसमें अपीलांट मुकेश कुमार को उक्त आराजी आवंटन की गई। तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर में किसी भी प्रकार से भूमि शेष नही रही, अपीलांट जो कि अनुसूचित जाति का गरीब व अशिक्षित व्यक्ति है जो राजस्व रिकार्ड के बाबत जानकारी नही रखता है और अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाते

Scanned with CamScanner